न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 272/2022 दायर दिनाँक 22.11.2022

वादी

1.अब्दुल गनी शैरानी पुत्र अब्दुल रज्जाक

2.मोहम्मद इरशाद पुत्र अब्दुल रज्जाक जाति शैरानी निवासी नजमिया मौहल्ला, शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा 88, R.T. Act., 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

श्री मो. अली शेरानी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 23.04.2026

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1542/837 रकबा 0.0500 है., बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 1543/837 रकबा 0.0500है. बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 1545/845 रकबा 0.1800 है. गै.मु. औद्योगिक प्रयोजनार्थ, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.2000 है. बारानी उत्तम, खसरा संख्या 1512/849 रकबा 1.5800 है. बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 493/1093 रकबा 0.0500 है. बारानी गै.मु. बाडा मौजा शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद व खेत खसरा संख्या 804 रकबा 1.2900 है. वाके डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां में अवस्थित है। उक्त भूमि में भूल व सहवन से वादी संख्या 1 का नाम अब्दुला पुत्र चांद खां व वादी संख्या 2 मो. इरशाद पुत्र चांद खां गलत अंकित कर दिया गया है, वादी 1 व 2 का नाम सरकारी रेकर्ड में जिसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में अब्दुल गनी शैरानी पुत्र अब्दुल रजाक व मो. इरशाद पुत्र अब्दुल रजाक दर्ज है अंकित है जो सही व सत्य है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम दर्ज होने से वादी को कानूनी अडचने उत्पन्न हो रही है। जिससे अब्दुला पुत्र चांद खां व मो. इरशाद पुत्र चांद खां के स्थान पर अब्दुल गनी शैरानी पुत्र अब्दुल रजाक व मो0 इरशाद पुत्र अब्दुल रजाक दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत् आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

खेत खसरा संख्या 1542/837 रकबा 0.0500 है., बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 1543/837 रकबा 0.0500है. बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 1545/845 रकबा 0.1800 है. गै.मु. औद्योगिक प्रयोजनार्थ, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.2000 है. बारानी उत्तम, खसरा संख्या 1512/849 रकबा 1.5800 है. बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 493/1093 रकबा 0.0500 है. बारानी गै.मु. बाडा मौजा शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद वखेत खसरा संख्या 804 रकबा 1.2900 है. वाके सरहद डाबगांव में अब्दुला पुत्र चांद खां व मो. इरशाद पुत्र चांद खां के स्थान पर अब्दुल गनी शैरानी

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

पुत्र चांद खां उर्फ अब्दुल रजाक व मो. इरशाद पुत्र चांद खां उर्फ अब्दुल रजाक घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/222 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम शैरानी आबाद के खेत खसरा नम्बर 1542/837, 1543/837, 1545/845, 844, 1512/849, 493/1093 एवं ग्राम डाबगांव के खसरा संख्या 804 की भूमि में वादी अपना नाम अब्दुला पुत्र चांद खां व मो. इरशाद पुत्र चांद खां के स्थान पर अब्दुल गनी शैरानी पुत्र चांद खां उर्फ अब्दुल रजाक व मो. इरशाद पुत्र चांद खां उर्फ अब्दुल रजाक दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार मौजा शेरानी आबाद के खसरा संख्या 1542/837 रकबा 0.05 है., किस्म बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 1543/837 रकबा 0.05 है., किस्म बरानी उत्तम, खसरा नम्बर 1545/845 रकबा 0.18 है. किस्म गै.मु.औद्योगिक प्रयोजनार्थ, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.20 है. किस्म बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 1512/849 रकबा 1.58 है. किस्म बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 493/1093 रकबा 0.05 है. किसम गै.मु.बाडा में वादी की संयुक्त खातेदारी है एवं मौजा डाबगांव के खसरा नम्बर 804 रकबा 1.2900 है. संयुक्त खातेदारी दर्ज है। मौजा शैरानीआबाद के नामा संख्या 228 द्वारा विरासत से मोहम्मद हसन, मोहम्मद इरसाद, मोहम्मद हुसैन अब्दुलाह, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इरसाद शहादत अली, पि. चांद खां कौम शैरानी सा. देह खातेदार दर्ज हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम शैरानी आबाद के खेत खसरा नम्बर 1542/837, 1543/837, 1545/845, 844, 1512/849, 493/1093 एवं ग्राम डाबगांव के खसरा संख्या 804 की भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का नाम अब्दुला पुत्र चांद खां व मो. इरशाद पुत्र चांद खां के स्थान पर अब्दुल गनी शैरानी पुत्र चांद खां उर्फ अब्दुल रजाक व मो. इरशाद पुत्र चांद खां उर्फ अब्दुल रजाक दुरूस्त किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 23.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना